बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 वैशाख 1906 (श०)

[सं० पटना 236] पटना, सोमवार, 23 अप्रील 1984

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

23 अप्रील 1984

सं० एल० जी० 2-015/83-लेज०—251—बिहार विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राष्ट्रपति 20 अप्रील 1984 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

[बिहार अधिनियम संख्या 10, 1984]

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984

बिहार राज्य में अतिविशिष्ट विषयों में उच्चतम स्तर की नैदानिक सेवाओं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के लिये सहायक पर्यवेक्षण तथा सतत् शिक्षा का विकास करने और सामुदायिक चिकित्सा शास्त्र तथा संबद्ध विषयों के क्षेत्र में सेवा, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के निमित्त एक संस्थान की स्थापना करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—(क) यह अधिनियम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 कहलाएगा ।

(ख) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

(ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ।

2. संस्थान के उद्देश्य ।—संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(1) उच्चतम स्तर की स्वास्थ्य और चिकित्सीय देख-रेख की सुविधा प्रदान करने के लिये शीर्षस्थ केन्द्र का विकास करना ;

(2) चिकित्सा सेवा की विभिन्न विद्या शाखाओं में उच्च-स्तर के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना ;

(3) मेडिकल कॉलेज, जिला और अनुमंडल अस्पतालों से समुचित संपर्क स्थापित करके और निर्देश-पद्धति (रेफरल सिस्टम) के जरिए राज्य की स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना ;

(4) सतत् शिक्षा कार्यक्रम का विकास करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र और स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करना ;

(5) मानवीय स्वास्थ्य की समस्याओं और देश के इस भाग में खास तौर से प्रचलित रोगों पर अनुसंधान करने के लिये रोग अनुसंधान केन्द्र का विकास करना ;

(6) जनन जीव विज्ञान और जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष बल देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन और उनका समाधान खोजने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य अनुसंधान-केन्द्र का विकास करना ; और

(7) सामुदायिक समस्याओं और आवश्यकताओं से संबद्ध मूल विज्ञानों में अनुसंधान के प्रशिक्षण का विकास करना ।

3. परिभाषाएं।—जबतक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(i) "शासक बोर्ड" से अभिप्रेत है संस्थान का शासक बोर्ड ;
(ii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड का अध्यक्ष ;
(iii) "निदेशक" से अभिप्रेत है संस्थान का निदेशक ;
(iv) "कार्यकारी परिषद्", से अभिप्रेत है संस्थान की कार्यकारी परिषद् ;
(v) "निधि" से अभिप्रेत है धारा-14 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि ;
(vi) "संस्थान" से अभिप्रेत है इन्दिरा गांधी आयुविज्ञान संस्थान ;
(vii) "सदस्य" से अभिप्रेत है शासी बोर्ड का सदस्य ;
(viii) "विहित" से अभिप्रेत है नियमावली द्वारा विहित ;
(ix) "नियम" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम ;
(x) "विनियम" से अभिप्रेत है शासक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम ;
(xi) "परियोजना समिति" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा संस्थान की परियोजना समिति।

4. संस्थान का स्थापना और निगमन।—(1) इंदिरा गांधी आयुविज्ञान संस्थान अध्यादेश, 1983 के अधीन स्थापित इंदिरा गांधी आयुविज्ञान संस्थान इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जायगा ; और इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के पूर्व उक्त संस्थान के प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई कारंवाई इस अधिनियम के प्रवर्त्तन के पूर्व उक्त संस्थान के प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा की गई कारंवाई इस अधिनियम के अधीन वैध रूप से की गई कारंवाई समझी जाएगी।

(2) संस्थान पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा जिसे चल और अचल संपत्ति अर्जित करने, धारित करने तथा निपटाने और संविदा करने की शक्ति होगी, तथा यह उक्त नाम से वाद चलाएगा और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(3) संस्थान की अवस्थिति और अधिकारिता।—संस्थान पटने में अवस्थित होगा और इसकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

5. शासक बोर्ड का गठन।—शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण—पदेन-अध्यक्ष।
(2) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार—पदेन।
(3) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार—पदेन।

(4) सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार—पदेन ।
(5) निदेशक, संस्थान बोर्ड—पदेन सचिव ।
(6) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा एकेडमिक ऑफ मेडिकल स्पेसलिस्ट से नाम निर्देशित—पदेन ।
(7) बिहार विधान-सभा में विरोधी दल का नेता—पदेन ।
(8) बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों का वरीयतम प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल)—पदेन ।
(9) भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, और स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा और शोध संस्थान, चंडीगढ़ का एक निदेशक।संकायाध्यक्ष (डीन) ।
(10) भारतीय चिकित्सा शोध परिषद् का महानिदेशक।अपर महानिदेशक—पटना
(11) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम निर्देशित विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि ।
(12) भारत सरकार द्वारा नाम निर्देशित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।
(13) भारतीय चिकित्सा परिषद् (इंडियन मेडिकल कौंसिल) की कार्यकारिणी द्वारा नाम निर्देशित उसका एक सदस्य ।
(14) अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा नाम निर्देशित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ;
(15) अकादमी की परिषद् द्वारा नाम निर्देशित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि ।
(16) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक ख्याति-प्राप्त प्रबंध विशेषज्ञ ।
(17) महानिदेशक।अपर महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, नई दिल्ली—पदेन
(18) नई दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय संघ द्वारा चुने गए भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकाय के तीन सदस्य ।
(19) संस्थान के चार संकाय सदस्य, जिनमें दो आचार्य, एक सह-आचार्य और एक सहायक आचार्य होंगे और जो वरीयता के अनुसार बारी-बारी से दो वर्षों के लिये होंगे :

परन्तु इस धारा के उपबंधों के अनुसार शासक बोर्ड का गठन होने तक राज्य सरकार इस निमित्त गठित परियोजना समिति को शासक बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये निदेश दे सकेगी ।

6. संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में घोषित किया जाना ।—इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एक उत्कृष्ट संस्थान होगा ।

7. सदस्यों की पदावधि और उनके बीच हुई रिक्तियां ।—

(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, सदस्य की पदावधि उसके नाम निर्देशन या चयन की तारीख से पांच वर्षों की होगी परन्तु धारा 5 के खंड (1 से 7, 10 एवं 17) के अधीन सदस्य की पदावधि उसके मूल पद से हटते ही समाप्त हो जाएगी ।

(2) पदेन-सदस्य की पदावधि उस समय तक बनी रहेगी जिस समय तक वह उस पद पर बना रहे जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य हुआ हो ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम निर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि तक बनी रहेगी जिस सदस्य के स्थान पर वह नाम निर्देशित या निर्वाचित हुआ ।

(4) जबतक राज्य सरकार अन्य ऐसा निर्देश न दे, पद छोड़नेवाला सदस्य अपने पद पर तबतक बना रहेगा जबतक कि उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति नाम निर्देशित या निर्वाचित न कर लिया जाय ।

(5) पद छोड़नेवाला सदस्य एक और पदावधि के लिये पुनः नाम निर्देशित या पुनः निर्वाचित किया जा सकेगा ।

(6) कोई भी सदस्य शासक निकाय के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से त्याग पत्र लिखकर पद त्याग कर सकेगा, लेकिन वह तबतक अपने पद पर बना रहेगा जबतक उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाय ।

8. अध्यक्ष शासक बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

9. विशेषज्ञों को बुलाए जाने संबंधी अधिकार ।—बोर्ड का अध्यक्ष वित्तीय। अभियंत्रण।चिकित्सीय।प्रशासनिक आदि विषयों पर परामर्श देने के लिये कार्यकारी परिषद् के माध्यम से विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा ।

10. बोर्ड की बैठकें ।—बोर्ड राज्य सरकार द्वारा यथानियम समय और स्थान पर अपनी पहली बैठक करेगा और पहली बैठक के कार्य-संपादन के संबंध में ऐसे प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय । इसके बाद बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर अपनी बैठकें करेगा और उन बैठकों के कार्य-संपादन के संबंध में ऐसे
जैसा कि विहित किया जाय ।

11. कार्यकारी परिषद् और अन्य समितियां ।—(1) संस्थान की एक कार्यकारी परिषद् होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i) संस्थान का निदेशक,
(ii) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा, बिहार सरकार ;
(iii) बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों का वह प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) जो शासक बोर्ड में हो ;
(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् (मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया) की कार्यकारिणी द्वारा नाम निर्देशित उसका एक सदस्य ;
(v) चिकित्सा निकाय (मेडिकल फैकल्टी) के चार सदस्य जो बोर्ड में हों ;
(vi) संस्थान का संकायाध्यक्ष (डीन) जो कार्यकारी परिषद् का सचिव होगा ;
(vii) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार या उसका प्रतिनिधि ;
(viii) संस्थान के चार संकाय सदस्य (फैकल्टी मेम्बर) जो बोर्ड में हों;
(ix) बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों के बीच से नाम-निर्देशित किया जानेवाला एक सदस्य।

(2) संस्थान का निदेशक कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष होगा। कार्यकारी परिषद् का अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद् के माध्यम से वित्तीय, अभियंतवग।चिकित्सीय और प्रशासकीय विषयों पर परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा।

(3) नियमावली द्वारा यथाविहित नियंत्रण और प्रतिबंधों के अध्यधीन, शासक बोर्ड संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये अथवा संस्थान द्वारा यथानिर्देशित किसी विषय की जांच करने या उसपर रिपोर्ट या सलाह देने के लिये उतनी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितना वह ठीक समझे।

(4) स्थायी समिति में केवल बोर्ड के सदस्य रहेंगे, किन्तु तदर्थ समिति में ऐसे भी व्यक्ति लिये जा सकेंगे जो बोर्ड के सदस्य न हों, किन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या उसकी कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक नहीं होगी।

(5) कार्यकारी परिषद् के ऐसे अध्यक्ष और सदस्य तथा स्थायी समिति या तदर्थ समिति के ऐसे अध्यक्ष और सदस्य, जो राज्य सरकार के सेवक न हों उतना भत्ता लेंगे जैसा कि सरकार द्वारा विहित किया जाय।

12. संस्थान के निदेशक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति आदि ।—(1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा, जो संस्थान का निदेशक

कहलाएगा। निदेशक की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर शासी निकाय द्वारा की जायगी जिसमें निम्नलिखित रहेंगे :—

(i) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, भारत सरकार—अध्यक्ष ;
(ii) महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य;
(iii) विकास आयुक्त, बिहार सरकार—सदस्य ;
(iv) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसका नाम निर्देशित—सदस्य;
(v) आयुक्त एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार—सदस्य-सचिव।

टिप्पणी—महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा; भारत सरकार चयन समिति का अध्यक्ष और सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार उसका सदस्य-सचिव होगा। चयन, भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, राज्य सरकारों की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों और अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, पी० जी० आई०, चंडीगढ़, वाराणसी इंस्टीच्यूट, त्रिवेन्द्रम इंस्टीच्यूट, आदि जैसे भारत प्रसिद्ध संस्थाओं के निदेशकों के बीच से मांगे जाने वाले नामनिर्देशन की प्रक्रिया द्वारा किया जायगा। समिति योग्यता-क्रम से तीन नामों की सूची तैयार करेगी, जिनमें से एक शासी निकाय के अनुमोदन से निदेशक के रूप में नियुक्त किया जायगा। यह नियुक्ति सरकार द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित की जाएगी :

परन्तु राज्य सरकार किसी सक्षम व्यक्ति को, परियोजना समिति की सिफारिश पर, अधिक-से-अधिक छह: महीने के लिये या धारा-12 की उप-धारा (2) के अनुसार इस निमित्त नियमित निदेशक की नियुक्ति हो जाने तक, दोनों में से जो भी पहले हो, संस्थान का निदेशक नियुक्त कर सकेगी।

(2) निदेशक, शासक बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किए जायें या जो बोर्ड अथवा कार्यकारी परिषद् द्वारा उसे सौंपे जायें।

(4) विहित किए जानेवाले नियमों के अध्यधीन, बोर्ड राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अनुमोदन से उतने पदों का सृजन और उतने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसा कि उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो। स्वास्थ्य विभाग ऐसे प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट स्वीकृत बजट उपबंधों के भीतर ऐसा अनुमोदन प्रदान करेगा।

(5) संस्थान का निदेशक और अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी उतने वेतन और भत्तों के हकदार होंगे तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामला के संबंध में ऐसी सेवा-शर्तों से शासित होंगे जैसा कि विहित किया जाए।

13. संस्थान को कानूनी अनुदान।—राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधान-मंडल द्वारा बनायी गई विधि के जरिए विनियोग करके, संस्थान को हरेक वित्तीय वर्ष में उतनी धन राशि का भुगतान ऐसी रीति से कर सकेगी जैसा कि सरकार इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे।

14. संस्थान की निधि।—(1) संस्थान की एक निधि होगी जिसमें निम्न-लिखित राशियां जमा की जायेंगी :—

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया सभी धन ;
(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार (चार्ज) ;
(ग) संस्थान को अनुदान, उपहार, दान उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में प्राप्त सभी धन ; और
(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति या स्रोत से प्राप्त सभी धन।

(2) निधि में आकलित सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा अथवा ऐसी रीति से लगाया जाएगा जैसा कि बोर्ड निर्णय करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान का खर्च पूरा करने में किया जायगा जिसमें उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में होनेवाला खर्च भी शामिल है।

15. संस्थान का बजट।—संस्थान प्रत्येक वर्ष, नियमों द्वारा विहित फारम में और समय पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिये, उपलब्ध साधन-स्रोत के भीतर बजट तैयार करेगा जिसमें संस्थान का प्राक्कलित आय-व्यय दिखलाया रहेगा तथा शासक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से पारित कर दिए जाने के बाद वह (संस्थान) उसकी उतनी प्रतियां राज्य सरकार को भेज देगा जैसा कि विहित किया जाय।

16. लेखा और अंकेक्षण—(1) संस्थान समुचित लेखा और अन्य सम्बद्ध अभिलेख रखेगा तथा तुलना-पत्र सहित वार्षिक लेखा-विवरण ऐसे फारम में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार नियम द्वारा विहित करे।

(2) संस्थान के लेखे का अंकेक्षण महालेखाकार द्वारा किया जाएगा और ऐसे अंकेक्षण पर महालेखाकार द्वारा किये गये किसी भी खर्च का भुगतान संस्थान करेगा।

(3) महालेखाकार या संस्थान के लेखे के अंकेक्षण के लिये उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को अंकेक्षण के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा जो महालेखाकार को सरकारी लेखा-अंकेक्षण के संबंध में प्राप्त

रहता है और विशेषकर उसे लेखा-वहियां, संबद्ध भाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र की मांग करने तथा संस्थान और साथ-साथ संस्थान द्वारा स्थापित और अनुरक्षित संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संस्थान का लेखा, उसपर दी गई अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ, प्रतिवर्ष राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार उसे राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।

17. वार्षिक रिपोर्ट ।—संस्थान प्रत्येक वर्ष के लिये उस वर्ष के दौरान् अपने क्रिया-कलापों की रिपोर्ट तैयार करेगा और यथाविहित फारम में तथा तारीख को या उसके पहले अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष उपस्थापित करेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

18. पेंशन, भविष्य निधि और उपादान ।—संस्थान के कर्मचारी, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के समान कोटि के कर्मचारियों को मिलने-वाली पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और उपादान के उस रीति से और उन शर्तों के अध्यधीन हकदार होंगे जैसा कि विहित किया जाए ।

संस्थान का कोई कर्मचारी संस्थान में पदभार ग्रहण करने के दो वर्षों के भीतर लिखित घोषणा देकर अंशदायी भविष्य निधि के लिये विकल्प दे सकेगा और उस दशा में वह पेंशन और सामान्य भविष्य निधि का हकदार नहीं होगा ।

अंशदायी भविष्य निधि इस निमित्तविहित नियमों द्वारा शासित होगी ।

19. संस्थान के आदेशों एवं लिखितों का अधिप्रमाणन ।—संस्थान के सभी आदेश एवं निर्णय निदेशक या इस निमित्त शासक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे और अन्य सभी लिखित निदेशक या इस निमित्त कार्यकारी परिषद् द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

20. रिक्तियां, आदि के कारण कार्य तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य होना ।—इस अधिनियम के अधीन संस्थान, कार्यकारी परिषद् या किसी स्थायी अथवा तदर्थ समिति द्वारा किये गए कार्य या की गई कार्यवाही पर इस कारण आपत्ति नहीं की जाएगी कि संस्थान बोर्ड, कार्यकारी परिषद् या ऐसी स्थायी अथवा तदर्थ समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है ।

21. स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, आदि प्रदान करने की शक्ति।—संस्थान को मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया, 1933 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सीय डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां (एकेडेमिक डिस्टिंकशन) प्रदान करने की शक्ति होगी।

22. विवरणी एवं सूचनायें।—संस्थान राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी एवं अन्य सूचनायें भेजेगा जिनकी सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

23. परियोजना समिति के कार्यकाल का निर्धारण।—इसके पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी, इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा गठित परियोजना समितियां उस समय और तारीख तक काम करती रहेंगी जैसा कि राज्य सरकार विनिश्चित करे।

24. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।—संस्थान उन निदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के कारगर प्रशासन के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उसे निर्गत किये जायें।

25. संस्थान एवं राज्य सरकार के बीच विवाद।—यदि संस्थान द्वारा अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में संस्थान और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो, तो ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

26. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार संस्थान से परामर्श करके शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। परन्तु इस धारा के अधीन पहली बार नियम बनाते समय संस्थान से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु राज्य सरकार संस्थान के वैसे किसी सुझाव पर विचार करेगी जो नियम बन जाने के पश्चात् ऐसे नियम के संशोधन के संबंध में दिया जाय।

(2) विशेषकर और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित किसी एक या सभी विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा :—

(क) धारा 5 के खंड (6) के अधीन सदस्यों के नाम निर्देशन की रीति;

(ख) धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन स्थायी तथा तदर्थ समितियों को भरने तथा गठन के संबंध में नियंत्रण एवं प्रतिबन्ध ;

(ग) संस्थान के सदस्यों की सेवा शर्त्तें तथा उनके बीच होनेवाली रिक्तियों को भरने की रीति और पालन की जानेवाली प्रक्रिया ;

(घ) संस्थान के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जानेवाली शक्तियों एवं निष्पादित किये जानेवाले कार्य ;

(ङ) संस्थान के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिया जानेवाला भत्ता, यदि कोई हो ;

(च) संस्थान द्वारा नियुक्त किये जानेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या और ऐसी नियुक्ति की रीति ;

(छ) संस्थान द्वारा बजट एवं रिपोर्ट तैयार करने का फारम और समय तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जानेवाली प्रतियों की संख्या ; और

(ज) कोई अन्य विषय जिसे नियम द्वारा विहित किया जाना हो ।

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र बिहार राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे ।

27. विनियम बनाने की शक्ति—(1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकार की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगा । ऐसे विनियमों में निम्नलिखित उपबन्ध किये जा सकेंगे :—

(क) संस्थान की पहली बैठक से भिन्न बैठकें बुलाना और करना, बैठक का समय एवं स्थान, ऐसी बैठकों का कार्य-संचालन और कोरम पूरा करने के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ;

(ख) शासी निकाय और स्थायी एवं तदर्थ समितियों के गठन की रीति, और शासी निकाय एवं स्थायी तथा तदर्थ समितियों के सदस्यों की पदावधि तथा उनके बीच होनेवाली रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ग) शासी निकाय के और स्थायी तथा तदर्थ समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों को दिया जानेवाला भत्ता, यदि कोई हो ;

(घ) शासी निकाय तथा स्थायी एवं तदर्थ समितियों के कार्य-संचालन में, शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ;

(ङ) संस्थान द्वारा नियुक्त शिक्षकों सहित संस्थान के निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदावधि, वेतन-भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें ;

(च) शासी निकाय के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्त्तव्य ;

(छ) संस्थान के निदेशक एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य ;

(ज) संस्थान की सम्पत्ति का प्रबन्ध ;

(झ) संस्थान द्वारा दी जानेवाली डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां (एकेडेमिक डिस्टिंक्शन) एवं उपाधियां (टाइटल) ;

(ञ) संस्थान में सृजित किये जानेवाले आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर) और प्राध्यापक (लेक्चरर) के तथा अन्य पद और आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर) या प्राध्यापक (लेक्चरर) के इन पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति ;

(ट) संस्थान द्वारा मांगे गए और प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्रभार ;

(ठ) संस्थान के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ जिस रीति से एवं जिन शर्त्तों के अध्यधीन पेंशन एवं भविष्य निधि जारी रखी जायगी, वह रीति तथा शर्त्त ; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियम बनाये जायें ।

28. निरसन और व्यावृत्ति ।—(1) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान द्वितीय अध्यादेश, 1983 (बिहार अध्यादेश सं० 4/84) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

23 अप्रील 1984

सं० एस० जी० 2-015/83-लेज०—252—विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 251-लेज०, दिनांक 23 अप्रील 1984 द्वारा यथा प्रकाशित इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम संख्या 10, 1984) का निम्न-लिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा :—

[Bihar Act No. 10, 1984]

INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT. 1984

AN

ACT

TO ESTABLISH AN INSTITUTION IN THE STATE OF BIHAR WITH A VIEW TO DEVELOP CLINICAL SERVICES IN SUPER SPECIALITIES OF THE HIGHEST STANDARD, A SYSTEM OF SUPPORTIVE SUPERVISION AND CONTINUED EDUCATION FOR THE MEDICAL AND HEALTH FUNCTIONARIES AND TO PROMOTE SERVICE, RESEARCH AND EDUCATION IN THE FIELD OF COMMUNITY, MEDICINE AND ALLIED SUBJECTS.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the thirty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. *Objects of the Institute.*—The objects of the Institute shall be —

(*i*) to develop an apex centre for delivery of health and medical care of highest standard;

(*ii*) to train specialists of high order in different branches of medical services;

(*iii*) to improve the health services in the State through appropriate linkages and referal system with Medical Colleges and District and Subdivisional hospitals;

(*iv*) to develop the continued education programme and award degrees, diplomas and certificates and Post-graduate degrees;

(*v*) to develop clinical research centre for conducting investigation on the problems of human health and diseases peculiar to and prevalent in this part of the country;

(*vi*) to develop Community Health Research Centre to study and find out solutions to the problems of health of the community with particular emphasis on reproductive biology and population control; and

(*vii*) to develop research and training in basic sciences relevant to the problems and needs of the community.

3. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires :—

(*i*) 'Board of Governors' means the Board of the Governors of the Institute;

(*ii*) 'Chairman' means the Chairman of the Board of Governors;

(*iii*) 'Director' means the Director of the Institute;

(*iv*) 'Executive Council' means the Executive Council of the Institute;

(*v*) 'Fund' means the fund of the Institute referred to in section 14;

(*vi*) 'Institute' means Indira Gandhi Institute of Medical Sciences;

(*vii*) 'Members' means Member of the Board of Governors;

(*viii*) 'Prescribed' means prescribed by rule;

(*ix*) 'Rule' means Rules framed by the State Government under this Act;

(*x*) 'Regulation' means Regulations framed by the Board of Governors;

(*xi*) 'Project Committee' means Project Committee of the Institute as constituted by the State Government.

4. *Establishment and incorporation of the Institute.*—(*i*) The Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, established under the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Ordinance, 1983, shall be deemed to have been established under this Act, and the actions taken by the State Government for the administration of the said Institute, before the enforcement

of the Act. shall be deemed to have been legally taken under the Act.

(ii) The Institute shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract, and shall be the said name sue and be sued.

(iii) *Location and Jurisdiction of the Intsitute.*—The Institute shall be located in Patna and its jurisdiction shall extend to the whole of State of Bihar.

5. *Composition of the Board of Governors.*—The Board of Governors shall consist of the following members, namely :—

(1) Minister of Health and Family Welfare—*Ex officio* Chairman.

(2) Secretary, Department of Health, Government of Bihar—*Ex-officio.*

(3) Director-in-Chief of Health Services, Government of Bihar—*Ex officio.*

(4) Secretary, Department of Finance, Government of Bihar—*Ex-officio.*

(5) Director of the Institute—*Ex-officio* secretary of the Board.

(6) Executive Council nominee of Indian Medical Association from Academly of Medical Speciality—*Ex-officio.*

(7) Leader of the Opposition of Bihar Legislative Assembly—*Ex officio.*

(8) Senior most Principal of the Medical Colleges of Bihar—*Ex-officio.*

(9) One of the Director/Deans from A. I. I. M. S., New Delhi and Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigrah nominated by the Government of India.

(10) Director-General/Addl. D.-G., Indian Council of Medical Research, New Delhi—*Ex-officio.*

(11) One of the representatives of University Grant Commission nominated by the Chairman, U. G. C.

(12) One representative of the Ministry of Science and Technology nominated by Government of India.

(13) One member from Medical Council of India to be nominated by their Executive.

(14) One representative from Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, nominated by C. S. I. R. of India.

(15) One representative from National Academy of Medical Sciences to be nominated by the Council of Academy.

(16) One management expert of outstanding repute to be nominated by the State Government.

(17) Director-General/Addl. D.-G. of Health Services—*Ex-officio.*

(18) Three members from the Medical Faculty of the Universities of India to be selected through Association of Universities, New Delhi.

(19) Four faculty members of the Institute consisting of two Professors, one Associate Professor and one Assistant Professor according to seniority on rotation for two years :

Provided that till such time as the Board of Governors is constituted in accordance with the provisions of this section, the State Government may direct the Project Committee constituted in this behalf to exercise powers and discharge functions of the Board of Governors.

6. *Declaration of Institute as an Institute of Excellence.*—It is hereby declared that the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences shall be an Institute of Excellence.

7. *Terms of office and vacancies of members.*—(1) Save as otherwise provided in this section, the term of office of a member shall be five years from the date of his nomination or selection: Provided that the term of office of a member under clauses (1) to (8), (10) and (17) of section 6 shall come to an end as soon as he ceases to hold the post;

(2) The term of office of an *Ex-officio* member shall continue as long as he holds the office by virtue of which he is such member.

(3) The term of office of a member nominated or selected to fill casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he is nominated or elected.

(4) An outgoing member shall, unless the State Government otherwise direct, continue in office until another person is nominated or elected as a member in his place.

(5) An outgoing member shall be eligible for renomination or re-election for another one term.

(6) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Chairman of the Board but he shall continue in office until his resignation is accepted.

8. The Chairman shall preside over the meeting of the Board of Governors.

9. *Power to invite experts.*—The Chairman of the Board may invite experts through the Executive Council to advice him on financial, engineering, medical, administrative aspects, etc.

10. *Meeting of the Board.*—The Board shall hold its first meeting at such time and place as may be appointed by the State Government and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at the first meeting as may be laid down by the Government and thereafter the Board shall meet at such times and places and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

11. *Executive Council and other Committees.*—(1) There shall be an Executive Council of the Institute which shall consist of the following members :—

(*i*) Director of the Institute.

(*ii*) Director-in-Chief, Health Services, Government of Bihar.

(*iii*) Principal of the Medical Colleges of Bihar who is on the Governing Body.

(*iv*) One member from Medical Council of India to be appointed by their Executive.

(*v*) Four members of the Medical Faculty who are on on the Board.

(*vi*) Dean of the Institute/Secretary to the Executive Council.

(*vii*) Secretary to the Government of Bihar, Health Department or his representative.

(*viii*) Four Faculty members of the Institute on Board.

(*ix*) One member to be nominated by the Chairman of the Board from among the members of the Board.

(2) The Director of the Institute shall be Chairman of the Executive Council.

The Chairman of the Executive Council may invite experts through the Executive Council to advise him on financial, engineering, medical and administrative aspects etc.

(3) Subject to such control and restrictions as may be prescribed by rules, the Board of Governors may constitute as many standing committees and *adhoc* committees as it thinks fit for exercising any power or discharging any function of the Institute or for enquiring into or reporting or advising upon any matter which the Institute may refer to it.

(4) The standing committee shall consist exclusively of members of the Board, but *adhoc* committee may include persons who are not members of the Board. But the number of such persons shall not exceed one half of its total membership.

(5) The Chairman and members of the Executive Council and the Chairman and members of a standing committee or an *adhoc* committee who are not State Government officials shall receive such allowances, if any, as may be prescribed by the Government.

12. *Staff of the Institute.*- (1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute who shall be designated as the Director of the Institute. The Director shall be appointed by the Governing Body on the recommendation of the Selection Committee consisting of the following :—

(*i*) Director General of Health Services, Government of India.

(*ii*) Director-General, I. C. M. R.

(*iii*) Development Commissioner, Government of Bihar.

(*iv*) Chairman, U. G. C. or his nominee.

(*v*) Secretary to the Government of Bihar, Health Department.

NOTE.—Director-General, Health Services, Government of India shall be the Chairman and Secretary, Health Department, Government of Bihar shall be the Member-Secretary of the Selection Committee. Selection will be made by the process of nominations to be invited from amongst the Principal of all Medical Colleges in India, Directors, Health Services of State Governments and Directors of Institute of all India repute like All India Institute of Medical Sciences, P.-G. I., Chandigrah, Varanasi Institute, Trivendrum Institute etc. The Committee shall prepare a panel of three names, in order of merit, out of which one shall be appointed as Director on the approval of the Governing Body which will be formally notified by the Government :

Provided that the State Government may appoint any competent person, on recommendation of the Project Committee, as Director of the Institute for a maximum period of six months only or till such period as a regular Director is not appointed in this behalf in accordance with sub-section (2) of section 12, whichever of the two being earlier.

(2) The Director shall act as the Secretary to the Board of Governors.

(3) The Director shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed by regulation or as may be delegated to him by the Board or by the Executive Council.

(4) Subject to the rules to be prescribed, the Board may create posts and appoint such number of officers and employees as may be necessary for the exercise of its powers and discharge of its functions with prior approval of the State Government in the Health Department, which would accord such approval within the specific sanctioned budgetary provisions for such purpose.

(5) The Director and other officers and employees of the Institute shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may be prescribed.

13. *Statutory Grants to the Institute.*—The State Government may under appropriation made by State Legislature by law in this behalf, pay to the Institute in each financial year such sums of money and in such manner as may be considered necessary by that Government for the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act.

14. *Fund of the Institute.*—(1) The Institute shall maintain fund to which shall be credited—

(*a*) all money provided by the State Government;
(*b*) all fees and other charges received by the Institute;
(*c*) all money received by the Institute by way of grants, gifts, donations, by factions or transfers; and
(*d*) all money received by the Institute in any other manner or from any other sources.

(2) All money credited to the Fund shall be deposited in such Banks or invested in such manner as the Board may decide.

(3) The Funds shall be applied toward the expenses of the Institute including expenses incurred in the exercise of its powers and discharge of its functions.

15. *Budget of the Institute.*—The Institute shall prepare in such form and at such time every year as may be prescribed by rules a budget within its resources in respect of the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Institute and shall forward the same to the State Government after it has been duly passed by the Board of Governors and forward such number of copies thereof to the State Government as may be prescribed.

16. *Accounts and Audit.*—(1) The Institute shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statements of account including the balance sheet in such form as the State Government may by rules prescribe.

(2) The accounts of the Institute shall be audited by the Accountant-General and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Institute.

(3) The Accountant-General or any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Institute shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Accountant-General has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have the right to demand the production of books of accounts in connection with vouchers and other documents and papers to inspect the office of the Institute as well as the Institutions established and maintained by it.

(4) The accounts of the Institute as certified by the Accountant-General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government and that Government shall cause the same to be laid before both the Houses of the State Legislature.

17. *Annual Report.*—The Institute shall prepare every year a report of its activities during that year and submit the

reports to the State Government in such form on or before such date as may be prescribed by rules and copy of this report shall be laid before both the Houses of Legislature.

1 . *Pension, Provident Fund and Gratuity.*—The employees of the Institute shall be entitled to such pension, general provident fund and gratuity as per rules of the State Government for similar categories of the State Government employees in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed.

An employee of the Institute may opt for contributory provident fund, after giving declaration in writing within two years of his joining the Institute and in that case he shall not be entitled to pension and general provident fund.

Contributory provident fund shall be governed by such rules as to be prescribed in this behalf.

19. *Authentication of the orders and instruments of the Institute.*—All orders and decisions of the Institute shall be authenticated by the signature of the Director or any other Officer authorised by the Board of Governors in this behalf and all other instruments shall be authenticated by the signature of the Director or any other Officer of the Board authorised by the Executive Council in this behalf.

20. *Act and proceedings not to be invalidated by vacancies etc.*—No act done or proceedings taken by the Institute, Executive Council or any standing or *adhoc* committee under this Act shall be questioned on the ground of the existence of any vacancy in, or defect in the Constitution of the Institute/Board, Executive Council or such standing or *adhoc* committee.

21. *Power to grant Post-graduate degree, diploma etc.*—The Institute shall have power to grant post-graduate medical degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the provisions of Medical Council of India Act, 1933 and the Rules and Regulations made thereunder.

22. *Returns and Informations.* The Institute shall furnish to the State Government such reports, returns and other information as the Government may require from time to time.

23. *Fixation of the tenure of the Project Committee.* –Notwithstanding the provisions contained herein the Project Committee constituted by the State Government in this behalf shall continue to function till such time and date as may be decided by the State Government.

24. *Control by the State Government.* –The Institute shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of his Act.

25. *Disputes between the Institute and the State Government.* – If in the exercise of its powers and discharge of its functions under this Act, any dispute arises between the Institute and the State Government the decision of the State Government in such dispute shall be final.

26. *Power to make rules.* (1) The State Government after consultation with the Institute may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purpose of this Act particularly with respect to the following :–

Provided that consultation with the Institute shall not be necessary on the first occasion of the making of rules under this section, but the State Government shall take into consideration any suggestions which the Institute may make in relation to the amendment of such rules after they are made.

(2) In particular and without produdice to the generality of the foregoing provisions such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(*a*) the manner of nomination of members under clause (6) of section 5 ;

(*b*) the control and restriction in relation to the constitution of standing and *ad hoc* committee under sub-section (5) of section 11 ;

(*c*) the conditions of service of the procedure to be followed by and the manner of filling up vacancies among members of the Institute ;

(*d*) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairman of the Institute ;

(*e*) the allowances, if any, to be paid to the Chairman and members of the Institute ;

(*f*) the number of officers and employees that may be appointed by the Institute and the manner of such appointment ;

(*g*) the form in which and the time at which the budget and reports shall be prepared by the Institute and the number of copies thereof to be forwarded to the State Government ;

(*h*) any other matter which is to be prescribed by rules.

(3) All rules made under this section shall, as soon as may be after they are made, shall be laid before both Houses of the Bihar State Legislature.

27. *Powers to make Regulation.* The Institute may, with the previous approval of the Government, make regulations consistent with the provisions of this Act, to carry out the purposes of this Act. Such regulations may provide for—

(*a*) the summoning and holding of meetings other than the first meeting of the Institute, the time and place where the such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings and the number of members necessary to form a quorum ;

(*b*) the powers and functions to be exercised and discharged by the Chairman of the Institute and the Chairman of the Governing Body ;

(*c*) the allowances, if any, to be paid to the Chairman and the members of the Governing Body and of standing and *adhoc* committees ;

(*d*) the procedure to be followed by the Governing Body and standing and *ad hoc* committees in the conduct of their business, exercise of their powers and discharge of their functions ;

(*e*) the tenure of office, salaries and allowances and other conditions of service of the Director and other officers and employees of the Institute including teachers appointed by the Institute ;

(*f*) the powers and duties of the Chairman of the Governing Body ;

(*g*) the powers and duties of the Director and other officers and employees of the Institute ;

(*h*) the management of the properties of the Institute ;

(*i*) the degrees, diplomas and other academic distinctions and titles which may be granted by the Institute ;

(*j*) the professorship, readership, lecturership and other posts which may be instituted and persons who may be appointed to such professorship, teachership, lecturership and other posts ;

(*k*) the fees and other charges which may be demanded and received by the Institute ;

(*l*) the manner in which and the conditions subject to which pension and provident fund may be contributed for and on the behalf of officers, teachers and other employees of the Institute ;

(m) any other matter for which regulations may be made under the provisions of this Act.

28. *Repeal and saving.* (1) The Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Second Ordinance, 1983 (Bihar Ordinance 4, 1984 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on that date on which such thing or action was done or taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मी नारायण,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 236—लाईनो—823—650—के0 लाल